

## हरयाणा में जैव रासायनकि ऑक्सीजन मांग स्तर में वृद्धि

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अनुपचारति अपशिष्ट के छोड़े जाने से हरयाणा के फरीदाबाद और पलवल ज़िलों में यमुना नदी और सचिाई नहरों में जैव रासायनकि ऑक्सीजन मांग (BOD) का स्तर काफी बढ़ गया है।

### मुख्य बातें

#### ■ चतिजनक BOD स्तर:

- जला प्रशासन के अनुसार अप्रभावी नगिरानी और अपर्याप्त नवारक उपायों के कारण BOD का स्तर स्वीकार्य सीमा से 400-500% अधिक है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिबियुनल (NGT) के दशि-नरिदेशों के अनुसार, जल के लिये BOD मानक 10 मलिंग्राम प्रतिलीटर है। हाल के नमूनों में इसका स्तर 35 से 40 के बीच दर्खिए हैं, जबकि यमुना में कुछ स्थानों पर यह 50 मलिंग्राम प्रतिलीटर तक पहुँच गया है।

#### ■ पर्यावरणीय प्रभाव:

- अनुपचारति अपशिष्ट न केवल BOD के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि घुलति ऑक्सीजन (DO) के स्तर को भी शून्य कर देता है। इसके परणामस्वरूप जलीय जीवन नष्ट हो जाता है और तीव्र दुर्गंध आती है।
- उच्च BOD स्तर अपशिष्ट जल उपचार और सीधेज प्रबंधन प्रणालियों में वफिलता का संकेत देते हैं।

#### ■ कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- नियमों के अनुचिति कार्यान्वयन और प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने स्थानिकों और अधिकारी बना दिया है।
- वर्षीयज्ञ इस संकट को कम करने के लिये कड़ी नगिरानी, बेहतर सीधेज प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सुदृढ़ कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं।

### जैव रासायनकि ऑक्सीजन मांग (BOD)

- BOD, जल में कार्बनकि पदारथों के चयापचय की जैवकि प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलति ऑक्सीजन की मात्रा है।
- जितना अधिकि कार्बनकि पदारथ होगा (जैसे, सीधेज और प्रदूषति जल नकायों में), उतना अधिकि BOD होगा; और जितना अधिकि BOD होगा, मछलियों जैसे उच्चतर जानवरों के लिये घुलति ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम उपलब्ध होगी।
- इसलिये BOD कसी जल नकाय के जैवकि प्रदूषण का एक विश्वसनीय माप है।

# राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

## परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

## संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व  
स्तर पर तीसरा देश है  
(ऑर्ड्रेलिया और न्यूज़ीलैंड  
के बाद) साथ ही NGT  
जैसा विशेष पर्यावरण  
अधिकरण स्थापित करने  
वाला पहला विकासशील  
देश भी है।

## शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

## NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002

